

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 110/2024

दर्ज दिनांक 02.12.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2024/276

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. जगदीश दत्तक पिता गम्मेर रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. शंकर पिता प्रभु रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बिजल पिता प्रभु रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अमरसिंह चारण – अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी 1 लगायत 2 एकपक्षीय

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::


(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

:: निर्णय ::

दिनांक:- 27/11/2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 20.03.2025 के द्वारा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 184 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 191 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 207 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 210 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 88 रकबा 0.08 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.48 है0 भूमि में वादी का 2/3 हिस्से का एवं इसी प्रकार आराजी संख्या 103 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 107 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 114 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 209 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 211 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 85 रकबा 0.14 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड वोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।
2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भूअ./2025/859 दिनांक 10.07.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	जगदीश दत्तक पुत्र गम्मेर रेबारी सा.देह खातेदार	ग्राम रेबारियो की ढाणी (खाता संख्या 16, 42)	207	0.05
			184/2	0.05
			191/1	0.16
			88/2	0.06
			107/2	0.04
			114/2	0.04
			209/1	0.02
			211/1	0.02
		योग	9	0.50
2	1. बीजल पुत्र प्रभु 1/2 रेबारी सा.देह खातेदार 2. शंकर पुत्र प्रभु 1/2 रेबारी सा.देह खातेदार	ग्राम रेबारियो की ढाणी (खाता संख्या 16, 42)	184/1	0.02
			191/2	0.08
			210	0.04
			88/1	0.02
			103	0.04
			107/1	0.08
			114/1	0.08
			209/2	0.03
		योग	10	0.52

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(करुणा लाडोती)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस.डी.ओ.) रायपुर
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी श्रीमती करुणा लाडोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 110/2024

दर्ज दिनांक 02.12.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :- 2024/276

अन्तर्गत धारा :- 53, 188 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. जगदीश दत्तक पिता गम्मेर रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर

वादी

बनाम

- शंकर पिता प्रभु रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- विजल पिता प्रभु रेबारी निवासी रेबारियो की ढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

- अमरसिंह चारण – अधिवक्ता वादी
- प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एकपक्षीय

निर्णय दिनांक : 27/11/2024

डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री अमरसिंह चारण व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	जगदीश दत्तक पुत्र गम्मेर रेबारी सा.देह खातेदार	ग्राम रेबारियो की ढाणी (खाता संख्या 16, 42)	207 184/2 191/1 88/2 107/2 114/2 209/1 211/1 85/2	0.05 0.05 0.16 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.06
		योग	9	0.50



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2	1. बीजल पुत्र प्रभु 1/2 रेबारी सा.देह खातेदार 2. शंकर पुत्र प्रभु 1/2 रेबारी सा.देह खातेदार	ग्राम बोरणा (खाता संख्या 16, 42)	184/1	0.02
			191/2	0.08
			210	0.04
			88/1	0.02
			103	0.04
			107/1	0.08
			114/1	0.08
			209/2	0.03
			211/2	0.05
			85/1	0.08
	योग		10	0.52

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत् Nil
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की
 तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27/11 को जारी किया गया।

(करुणा लाडोती)

सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



सहायक कलक्टर पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, रायपुर, (भीलवाड़ा)
 (ए.बी.ओ.) रायपुर